सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल– 17

(01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वेबसाइट–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ...

पत्रांक– अर्थ–2/209505/5क(02)/07/2025–26 दिनांक 11 सितम्बर, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन खेल प्रतियोगिता का आयोजन योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन "संलग्न विवरण" के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न विवरण के अनुसार सबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल आवंटित किया जाये। आवंटित धनराशि को प्रत्येक दशा में दिनांक 31–03–2026 तक निम्नानुसार व्यय कर लिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– सलग्न विवरण के तालिका के कॉलम संख्या 4 एवं 6 में आवंटित धनराशि उप शिक्षा अधिकारियों को एवं कॉलम संख्या 7, 9, 10 एव 11 मे आवंटित धनराशि को जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित की जायेगी।

3– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सख्या 944/VI-2/2011–21(6)/2011 दिनांक 16.12.2011 एवं 162/VI-3/2023–30(16)/2022 दिनांक 10 मार्च 2023 में निर्धारित किये गये मानकानुसार व्यय करवाना सुनिश्चित करें।

4– आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय से संबंधित देयक आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार संबंधित को वास्तविक भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि को निदेशालय को समर्पित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा, ऐसा किया जाने पर अथवा निदेशालय के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी/पटल प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 07–खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन के अधीन सुसगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

सलग्न– आवटन विवरण, अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 11-09-2025
15:36:37

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0स0– अर्थ–2/209505/5क(02)/07/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2–सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3–सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
4–सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।
अर्थ–2/5क(02)/209506/07/2025–26 दिनांक: 11–09–2025

धनराशि आवंटन का विवरण

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अधीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना मे राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की संकुल स्तर से राज्य स्तर तक होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के संचालन किये जाने में होने वाले व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

वर्ष 2025–26 में संकुल स्तर से जनपद स्तर तथा जनपद से राज्य स्तर तक होने वाले खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में किये जाने वाले व्यय हेतु आवंटित धनराशि का विवरण।

योजना खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन लेखाशीर्षक 22020110107 धनराशि रुपये में

क्र स.	जनपद का नाम	संकुलों की संख्या	देय धनराशि @3000 रु0 प्रति संकुल (आवंटन विकासखण्ड)	विकासखण्ड संख्या	देय धनराशि प्रति विकासखण्ड@ 15000 रु0 प्रति ब्लॉक (आवंटन विकासखण्ड)	जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हेतु	जनपद द्वारा राज्य में प्रतिभाग करने हेतु 175 प्रतिभागियों का अनुमानित किराया, कॉलम 8 में अंकित दर से आने एवं जाने हेतु (जि.शि.अ. प्रा.शि.कार्या) (आवंटन जनपद)		राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु 175 प्रतिभागी दैनिक भत्ता 175x250x4 दिन (जि.शि.अ. प्रा. शि. कार्या)(आवंटन जनपद)	राज्यस्तरीय प्रति हेतु अग्रिम धनराशि (जि.शि.अ प्रा.शि. कार्या) (आवंटन जनपद)	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अल्मोडा	95	2,85,000	11	1,65,000	83,000	730	2,55,500	1,75,000		9,63,500
2	बागेश्वर	35	1,05,000	3	45,000	59,000	745	2,60,750	1,75,000		6,44,750
3	चम्पावत	24	72,000	4	60,000	62,000	815	2,85,250	1,75,000		6,54,250
4	चमोली	39	1,17,000	9	1,35,000	77,000	575	2,01,250	1,75,000		7,05,250
5	देहरादून	36	1,08,000	6	90,000	68,000	100	35,000	1,75,000	5,00,000	9,76,000
6	हरिद्वार	46	1,38,000	6	90,000	68,000	115	40,250	1,75,000		5,11,250
7	नैनीताल	43	1,29,000	8	1,20,000	74,000	615	2,15,250	1,75,000		7,13,250
8	पौड़ी	115	3,45,000	15	2,25,000	95,000	295	1,03,250	1,75,000		9,43,250
9	पिथौरागढ	64	1,92,000	8	1,20,000	74,000	985	3,44,750	1,75,000		9,05,750
10	रुद्रप्रयाग	27	81,000	3	45,000	59,000	410	1,43,500	1,75,000		5,03,500
11	टिहरी	75	2,25,000	9	1,35,000	77,000	265	92,750	1,75,000		7,04,750
12	उधमसिंह नगर	27	81,000	7	1,05,000	71,000	480	1,68,000	1,75,000		6,00,000
13	उत्तरकाशी	36	1,08,000	6	90,000	68,000	355	1,24,250	1,75,000		5,65,250
योग		662	19,86,000	95	14,25,000	9,35,000	6,485	22,69,750	22,75,000	5,00,000	93,90,750

(रुपये तेरानबे लाख नब्बे हजार सात सौ पचास मात्र)

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 11-09-2025 15:37
(बिरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

By mail

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक–विविध (08)/ 4317 /हरेला–वृक्षारोपण/2026–27 दिनांक 19 अगस्त, 2026

विषय– "एक पेड़, माँ के नाम" के तहत वृक्षारोपण अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः बैठक/2267–73/एम0आई0एस0/2026–27 दिनांक 19 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक पेड़ माँ के नाम एजेण्डा पर समीक्षा बैठक आहूत की गयी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि "एक पेड़ माँ के नाम" एजेण्डा पर निम्न प्रारूप पर सूचना आज ही निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

SN	District	Total Number of Schools	Target Total Trees	Number of schools participated	Total Trees Planted	Number of schools participated (%)	Achieving targets for tree planting (%)

भवदीय
19/08/2026

(डॉ0 सुरेन्द्र सिंह नेगी)
उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

साप्ताहिकबैठक

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयीशिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवामें,

1. समस्तमुख्य शिक्षा अधिकारी/जिलापरियोजनाअधिकारी, समग्रशिक्षा उत्तराखण्ड।
2. समस्तजिलाशिक्षा अधिकारी (मा.शि./प्रा.शि.), उत्तराखण्ड।
3. समस्तवित्तअधिकारी, विद्यालयीशिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक : बैठक/2267-73/एम.आई.एस./2026–27 दिनांक 19 अगस्त, 2026

विषयः– दिनांक 21 अगस्त, 2026 को आयोजित साप्ताहिक बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव महोदया, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 21 अगस्त, 2026 (शुक्रवार) को पूर्वान्ह 11:00 बजे से समस्त जनपदों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है। बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. जनपदवार पहल अधिगम प्रतिफलों(Learning Outcomes)के सापेक्ष प्रगति समीक्षा।
2. जनपदवार सेवानिवृत्त लंबित देयकों के प्रकरणों की समीक्षा।
3. 2022 एवं 2023 की मुख्यमंत्री घोषणा के सम्बन्ध में अद्यतन कार्यप्रगति की समीक्षा।
4. जनपदवार APAAR IDsबनाए जाने की प्रगति की समीक्षा।
5. CM Helpline 1905की जनपदवार प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा।
6. शैक्षिक सत्र 2026–27 में विद्यालयों में अद्यतन गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति की जनपदवार समीक्षा।
7. ईको क्लब नोटिफिकेशन की जनपदवार समीक्षा।
8. स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग की जनपदवार समीक्षा।
9. एक पेड माँ के नाम की जनपदवार समीक्षा।

नोट –बिन्दु संख्या 01 के सापेक्ष प्रत्येक जनपद न्यूनतम अधिगम प्राप्ति वाले विकासखंड को चिन्हित करते हुए सकारण एवं सुधार कार्ययोजना सहित सुझाव एवं रणनीति प्रस्तुत करेंगे।

बैठक हेतु लिंक : –https://us02web.zoom.us/j/82116455703

भवदीय,

(कुँवर सिंह रावत)
अपर निदेशक,
महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड

पृ.सं./बैठक/2267-73/एम.आई.एस./2026–27 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सम्बन्धी संकलित सूचना Power Point Presentation (ppt) में दिनांक 20 अगस्त, 2026 पूर्वाह्न 11 बजे तक महानिदेशालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें:–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
4. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।

19/8/26

अपर निदेशक,
महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड

Mail

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा0शि0) उत्तराखण्ड।

पत्रांक–विविध (08)/ 6455-56 /सेवा पर्व(वृक्षारोपण)/2025–26 दिनांक 26 सितम्बर, 2025

विषय– **सेवा पर्व (दिनांक 17 सितम्बर, 2025 से दिनांक 02 अक्टूबर, 2025) के दौरान "एक पेड़ माँ के नाम 2.0" अभियान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332312/XXIV-A-1/2025-58614/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के साथ संलग्न स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के पत्र संख्या– 11 सितम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सेवा पर्व (दिनांक 17 सितम्बर, 2025 से दिनांक 02 अक्टूबर, 2025) के दौरान "एक पेड़ माँ के नाम 2.0" अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण अभियान पूरे देश के प्रत्येक विद्यालय द्वारा ईको क्लब्स फॉर मिशन LIFE के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पेड़ लगाने और सामूहिक संकल्प को सुदृढ़ करने एवं भारत को हरित और स्वच्छ बनाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पत्र मे दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(एस0एस0 चौहान)
उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– विविध (08)/ 6455-56 /सेवा पर्व(वृक्षारोपण)/2025–26 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(एस0एस0 चौहान)
उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक–अकादमिक(04)/ 8686-90 /जूता व बैग/2025–26 दिनांक05 जुलाई 2025

विषय– कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–141/XXIV–A–2/2025–14/2020T.C दिनांक 09 अप्रैल 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से धनराशि भुगतान किये जाने के लिये रू0 23.00 करोड़ (रू0 तेईस करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से आप द्वारा उपलब्ध कराई गयी छात्र संख्या व मांग के आधार पर निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ–2/3677–81/05क(02)/18/2025–26 दिनांक 04 जुलाई, 2025 द्वारा निम्न विवरणानुसार जनपदवार धनराशि वित्त अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के निवर्तन में रखते हुए पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

क0 सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लाभांवित कक्षा–1 से 5 तक छात्र–छात्राओं की संख्या	कक्षा–1 से 5 तक बैग हेतु रू0 165.00 की दर से एवं जूता रू0 153.00की दर से कुल रू0 318.00 प्रति छात्र की दर से धनराशि	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लाभांवित कक्षा–6 से 8 छात्र–छात्राओं की संख्या	कक्षा–6 से 8 तक बैग हेतु रू0 275.00 की दर से एवं जूता रू0 187.00की दर से कुल रू0 462.00 प्रति छात्र की दर से धनराशि	सम्पूर्ण धनराशि	कुल छात्र संख्या का योग
1	अल्मोड़ा	13361	4248798.00	13564	6266568.00	10515366.00	26925
2	बागेश्वर	7158	2276244.00	6897	3186414.00	5462658.00	14055
3	चमोली	19138	6085884.00	13457	6217134.00	12303018.00	32595
4	चम्पावत	6647	2113746.00	7771	3590202.00	5703948.00	14418
5	देहरादून	37262	11849316.00	30630	14151060.00	26000376.00	67892
6	हरिद्वार	77298	24580764.00	48964	22621368.00	47202132.00	126262
7	नैनीताल	23909	7603062.00	25355	11714010.00	19317072.00	49264
8	पौड़ी	13664	4345152.00	13275	6133050.00	10478202.00	26939
9	पिथौरागढ	10567	3360306.00	10106	4668972.00	8029278.00	20673
10	रूद्रप्रयाग	8871	2820978.00	3789	1750518.00	4571496.00	12660
11	टिहरी	18504	5884272.00	16933	7823046.00	13707318.00	35437
12	ऊ0सि0 नगर	51293	16311174.00	39398	18201876.00	34513050.00	90691
13	उत्तरकाशी	13123	4173114.00	8721	4029102.00	8202216.00	21844
	योग	300795	95652810.00	238860	110353320.00	206006130.00	539655

अतः आवंटित धनराशि को उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाय।

Scanned with OKEN Scanner

धनराशि का भुगतान राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम किया जाएगा।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में कक्षा 01 से 05 तक अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रू0 318/–मात्र (जूता मूल्य रू0 153/एवं बैग मूल्य रू0 165) तथा कक्षा 06 से 08 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रू0 462/–मात्र (जूता मूल्य रू0 187/एवं बैग मूल्य रू0 275) की दर से भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि को छात्र–छात्राओं को डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से धनराशि हस्तागत् करने के उपरान्त यदि किसी जनपद में धनराशि अवशेष रहे तो उसे तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि को छात्र–छात्राओं को डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से धनराशि हस्तागत् करने के उपरान्त शेष धनराशि को किसी भी दशा में जनपद स्तर पर न रखा जाय।
5. यदि किसी जनपद में धनराशि हस्तान्तरित करने के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में पूर्व निर्धारित प्रारूप पर उसकी अतिरिक्त मांग का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
6. सम्बन्धित धनराशि का उपभोग किसी अलग मद में कदापि न किया जाय।
7. विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी जिसमें एक वित्त सम्बन्धी कार्मिक अवश्य हो, के द्वारा इसकी समीक्षा कर कार्य पूर्ति प्रमाण एवं उसकी आख्या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से यथा निर्देश निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
8. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

05/08/25

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अकादमिक(04)/ 3686-90 /जूता व बैग/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं की संख्या जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध सुनिश्चित करें।
4. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0)

05/08/25

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड

पत्रांक— अकादमिक(04)/C662—63 /निःपा0पुस्तक/2025—26 दिनांक 30. सितम्बर 2025

विषय— शिक्षा सत्र 2025—26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु फर्मो को भुगतान की जाने वाली धनराशि के संबन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ—2/6579—86/5क (02)/14/2025—26 दिनांक 29 सितम्बर 2025 द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु, निम्न विवरणानुसार धनराशि वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के निर्वतन में रखते हुए पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र0	जनपद का नाम	कुल छात्र संख्या	गत वर्ष 2024—25 की देयता	वर्ष 2025—26 में कक्षावार फर्म को भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि	कुल योग	वर्ष 2025—26 में समग्र शिक्षा द्वारा दी जाने वाली धनराशि	वर्ष 2025—26 में जनपदों को आवंटित की जाने वाली शुद्ध धनराशि	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपदों को आवंटित धनराशि
1	अल्मोड़ा	28988	4550352.00	27309011.44	31859363.44	10587450.00	21271913.44	17446424.00
2	चमोली	30519	3869695.00	28858083.81	32727778.81	9600300.00	23127478.81	17497281.00
3	देहरादून	69003	0.00	66171390.26	66171390.26	23388300.00	42783090.26	31247963.00
4	हरिद्वार	167332	8619162.00	148961100.39	157580262.39	35115200.00	122465062.39	78962720.00
5	नैनीताल	60876	0.00	60902822.31	60902822.31	17241050.00	43661772.31	28760000.00
6	पौड़ी	30587	0.00	31574709.88	31574709.88	10763850.00	20810859.88	14910453.00
7	रूद्रप्रयाग	12660	2909281.00	18837688.50	21746969.50	6088500.00	15658469.50	11804959.00
8	टिहरी गढ़वाल	38304	2345017.00	38646166.34	40991183.34	13313150.00	27678033.34	20594807.00
9	ऊधम सिंह नगर	113604	0.00	109031197.61	109031197.61	30853950.00	78177247.61	51487551.00
10	उत्तरकाशी	23942	0.00	22899382.45	22899382.45	7404400.00	15494982.45	10813723.00
11	चम्पावत	15728	0.00	16404942.20	16404942.20	5514300.00	10890642.20	7746868.00
12	बागेश्वर	14502	0.00	15100641.65	15100641.65	5281950.00	9818691.65	7130941.00
13	पिथौरागढ़	23194	10577027.00	23334682.44	33911709.44	7835950.00	26075759.44	21596310.00
महायोग		629239	32870534.00	608031819.27	640902353.27	182988350.00	457914003.27	320000000.00

(रूपये बत्तीस करोड़ मात्र)

आवंटित धनराशि को उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ—साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुए हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाय।

1. वित्तीय वर्ष 2025—26 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय, को उपलब्ध कराया जाना होगा उक्तानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में अवशेष धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. आवंटित धनराशि को सम्बंधित फर्म को भुगतान करने के उपरान्त फर्म द्वारा उपलब्ध कराई गयी अवशेष धनराशि के मांग के आधार पर अतिरिक्त धनराशि की मांग का प्रस्ताव पूर्व निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय ताकि तद्नुसार अवशेष धनराशि के आवंटन की कार्यवाही की जा सके।
3. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्त हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अर्न्तगत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अकादमिक(04)/ 6662-63 /पा0पुस्तक/2025–26 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0 शिक्षा) को इस आशय से प्रेषित की आप भी उपरोक्तानुसार अतिरिक्त धनराशि के मांग का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेगें।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक– अकादमिक(04)/13257-58/निःपा0पुस्तक/2025–26 दिनाक 20 मार्च 2026

विषय– शिक्षा सत्र 2025–26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु फर्मो को भुगतान की जाने वाली अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–123/XXIV(1)-A-2/2026-14/2020T.C(E-41127) दिनांक 02 मार्च 2026 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरण के मानक मद 56–सहायता अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 13,79,14,003.00 (रू0 तेरह करोड़ उन्यासी लाख चौदह हजार तीन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 12943–50/5क(02)/14/2025–26 दिनांक 16 मार्च 2026 स्वीकृत धनराशि एवं पूर्व से अवशेष धनराशि के सापेक्ष आप द्वारा उपलव्ध कराये गये मांग के आधार पर रू0 138935410.00 (तेरह करोड़ नवासी लाख पैंतीस हजार चार सौ दस मात्र) धनराशि जनपदवार निम्न विवरणानुसार आवंटित की गयी है।

क0स0	जनपद का नाम	शुद्ध देय धनराशि
1	अल्मोड़ा	3132988.00
2	चमोली	5630198.00
3	देहरादून	11535127.00
4	हरिद्वार	43502342.00
5	नैनीताल	14901772.00
6	पौडी	5513907.00
7	रूद्रप्रयाग	3853511.00
8	टिहरी गढवाल	7083226.00
9	उद्यम सिहं नगर	26689697.00
10	उत्तरकाशी	4681259.00
11	चम्पावत	3143774.00
12	बागेश्वर	4788160.00
13	पिथौरागढ	4479449.00
योगः–		138935410.00

1. वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय, को उपलब्ध कराया जाना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

2\. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्त हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

अतः इस संबध में निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार आवंटित धनराशि रू0 13,89,35,410.00 (रू0 तेरह करोड़ नवासी लाख पैंतीस हजार चार सौ दस मात्र) के सम्बन्ध में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है ऐसी स्थिति में फर्मो को नियमानुसार धनराशि का भुगतान न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

20/3/26

(कंचन देवराड़ी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अकादमिक(04)/13257-58/निशुल्क पाठ्य पुस्तक/2025–26 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

20/3/26
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: विविध–08/ 9943-47/अव0तालिका/2025–26 दिनांक: 29 दिसम्बर, 2025

विषय: राज्य के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु वर्ष–2026 की अवकाश तालिका के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या :1800–1809 /xxxi(15)G/25-74(सा0)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के क्रम में राज्य के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश के साथ अन्य अवकाश हेतु वर्ष 2026 की अवकाश तालिका तैयार की गई है। वर्ष 2026 की अवकाश तालिका में निर्धारित माहवार कुल कार्य दिवसों का आवंटन किया गया है।

अतः संलग्न अवकाश तालिका इस निर्देश से प्रेषित की जा रही है कि प्रत्येक विद्यालय हेतु निर्धारित कार्य दिवसों में विधिवत शैक्षणिक गतिविधियों के साथ पाठ्य सहगामी गतिविधियां भी सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय

डॉ0 (मुकुल कुमार सती)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : विविध–08/ 9943-47 /अव0तालिका/2025–26 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कुमॉऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)के माध्यम से।

29.12.25

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु वर्ष 2026 की अवकाश तालिका

क्र0 सं0	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेन्डर के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन	अवकाशों की संख्या
1	मकर संक्राति	14 जनवरी, 2026	बुधवार	01
2	बसन्त पंचमी	23 जनवरी, 2026	शुक्रवार	01
3	गणतन्त्र दिवस	26 जनवरी, 2026	सोमवार	01
4	गुरू रविदास जन्मदिवस	01 फरवरी, 2026	रविवार	01
5	*शब ए बारात	03 फरवरी, 2026	मंगलवार	01
6	महाशिव रात्रि	15 फरवरी, 2026	रविवार	01
7	होलिका दहन	03 मार्च, 2026	मंगलवार	01
8	होली	04 मार्च, 2026	बुधवार	01
9	*जमात–उल–विदा	13 मार्च, 2026	शुक्रवार	01
10	चेटीचंद	19 मार्च, 2026	बृहस्पतिवार	01
11	*ईद–उल–फितर	21 मार्च, 2026	शनिवार	01
12	रामनवमी	26 मार्च, 2026	बृहस्पतिवार	01
13	महावीर जयन्ती	31 मार्च, 2026	मंगलवार	01
14	गुड फ्राइडे	03 अप्रैल, 2026	शुक्रवार	01
15	वैशाखी/डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जयंती	14 अप्रैल, 2026	मंगलवार	01
16	बुद्ध पूर्णिमा	01 मई, 2026	शुक्रवार	01
17	वीर केशरीचन्द शहीद दिवस	03 मई, 2026	रविवार	01
18	*ईद–उल–जुहा (बकरीद)	27 मई, 2026	बुधवार	01
19	*मोहर्रम	26 जून, 2026	शुक्रवार	01
20	हरेला	16 जुलाई, 2026	बृहस्पतिवार	01
21	*चैहल्लुम	04 अगस्त, 2026	मंगलवार	01
22	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2026	शनिवार	01
23	*ईद ए मिलाद/मिलाद–उन–नबी बारावफात	26 अगस्त, 2026	बुधवार	01
24	रक्षा बन्धन	28 अगस्त, 2026	शुक्रवार	01
25	जन्माष्टमी	04 सितम्बर, 2026	शुक्रवार	01
26	विश्व कर्मा पूजा	17 सितम्बर, 2026	बृहस्पतिवार	01
27	अनन्त चतुर्दशी	25 सितम्बर, 2026	शुक्रवार	01
28	महात्मा गांधी जयंती	02 अक्टूबर, 2026	शुक्रवार	01
29	महाराजा अग्रसेन जयंती	11 अक्टूबर, 2026	रविवार	01
30	दशहरा (महानवमी/विजयदशमी)	20 अक्टूबर, 2026	मंगलवार	01
31	महर्षि बाल्मिकी जयंती	26 अक्टूबर, 2026	सोमवार	01
32	दीपावली (नरक चतुर्दशी)	07 नवम्बर, 2026	शनिवार	01
33	दीपावली	08 नवम्बर, 2026	रविवार	01
34	दीपावली (गोवर्धन पूजा)	10 नवम्बर, 2026	मंगलवार	01
35	भैयादूज	11 नवम्बर, 2026	बुधवार	01
36	छठ पूजा	15 नवम्बर, 2026	रविवार	01
37	ईगास–बग्वाल	20 नवम्बर, 2026	शुक्रवार	01
38	गुरूनानक जयंती/ गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस	24 नवम्बर, 2026	मंगलवार	01
39	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2026	शुक्रवार	01

29.12.25

डॉ0 (मुकुल कुमार सती)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

माह	शीतावकाश विद्यालयों हेतु			ग्रीष्मावकाश विद्यालयों हेतु		
	कुल कार्य दिवस	सार्वजनिक अवकाश रविवार सहित	शीतावकाश की अवधि	कुल कार्य दिवस	सार्वजनिक अवकाश रविवार सहित	ग्रीष्मावकाश की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी, 2026	—	—	दि0 01 से 31 जनवरी तक	13	05	शीतावकाश 01 जनवरी से 13 जनवरी तक
फरवरी, 2026	23	05	—	23	05	—
मार्च, 2026	19	12	—	19	12	—
अप्रैल, 2026	24	06	—	24	06	—
मई, 2026	24	07	—	21	05	ग्रीष्मावकाश 27 मई से 30 जून तक
जून, 2026	17	02	20 जून से 30 जून	—	—	
जुलाई, 2026	26	05	—	26	05	—
अगस्त, 2026	22	09	—	22	09	—
सितम्बर, 2026	23	07	—	23	07	—
अक्टूबर, 2026	24	07	—	24	07	—
नवम्बर, 2026	20	10	—	20	10	—
दिसम्बर, 2026	21	04	शीतावकाश 26 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक	26	05	—
योग—	243	74	—	241	76	—

उक्त अवकाशों के अतिरिक्त निम्न अवकाश विद्यालयों को देय होंगे।

1. प्रधानाध्यापक विवेकाधीन अवकाश — 03 दिन
2. जिलाधिकारी द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश— 03 दिन

ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश निम्न प्रकार होंगे—

1. 5000 फीट अथवा उससे कम ऊंचाई वाले विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश दीर्घ अवकाश तथा 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश दीर्घ अवकाश होगा।

(अ) ग्रीष्मकालीन दीर्घ अवकाश वाले विद्यालयों में अवकाश निम्नवत् देय होगा—

1. ग्रीष्मकाल में— दिनांक 27 मई से 30 जून, 2026— 35 दिन
2. शीतकाल में— दिनांक 01 जनवरी, 2026 से 13 जनवरी, 2026 तक— 13 दिन

<u>योग:— 48 दिन</u>

(ब) शीतकालीन दीर्घ अवकाश वाले विद्यालयों में अवकाश निम्नवत देय होगा—

1. ग्रीष्मकाल में— दिनांक 20 जून से 30 जून, 2026 तक— 11 दिन
2. शीतकाल में— दिनांक 26 दिसम्बर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक— 37 दिन

<u>योग:— 48 दिन</u>

- * यदि यह त्यौहार चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे और जिलाधिकारी इन छुट्टियों की तारीख यदि आवश्यकता पड़े तो पुनः निर्दिष्ट कर सकते हैं।

<u>नोट</u>— प्रधानाध्यापक, विवेकाधीन अवकाश घोषित करने की सूचना सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा विवेकाधीन अवकाश दीर्घावकाश के साथ न जोड़ें।

29.12.25

डॉ0 (मुकुल कुमार सती)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या-1800/xxxi(15)G/25-74(सा0)/2016
देहरादून: दिनांक 24 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-243 के अन्तर्गत निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को वर्ष 2026 ई0 (शक संवत् 1947-48) के लिये समस्त उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं-

वर्ष 2026 अर्थात शक संवत् 1947-48 की सार्वजनिक अवकाशों की सूची

अनुसूची-1

क्र. सं.	त्योहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2026	06 माघ, 1947	सोमवार
2	महाशिव रात्रि	15 फरवरी, 2026	26 माघ, 1947	रविवार
3	होलिका दहन	03 मार्च, 2026	12 फाल्गुन, 1947	मंगलवार
4	होली	04 मार्च, 2026	13 फाल्गुन, 1947	बुधवार
5	*ईद-उल-फितर	21 मार्च, 2026	30 फाल्गुन, 1947	शनिवार
6	राम नवमी	26 मार्च, 2026	05 चैत्र, 1948	बृहस्पतिवार
7	महावीर जयन्ती	31 मार्च, 2026	10 चैत्र, 1948	मंगलवार
8	गुड फ्राईडे	03 अप्रैल, 2026	13 चैत्र, 1948	शुक्रवार
9	डा0. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल, 2026	24 चैत्र, 1948	मंगलवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	01 मई, 2026	11 वैशाख, 1948	शुक्रवार
11	*ईद-उल-जुहा (बकरीद)	27 मई, 2026	06 ज्येष्ठ, 1948	बुधवार
12	*मोहर्रम	26 जून, 2026	05 आषाढ़, 1948	शुक्रवार
13	हरेला	16 जुलाई, 2026	25 आषाढ़, 1948	बृहस्पतिवार
14	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2026	24 श्रावण, 1948	शनिवार
15	* ईद ए मिलाद/ मिलाद -उन-नबी बारावफात	26 अगस्त, 2026	04 भाद्रपद, 1948	बुधवार
16	रक्षा बन्धन	28 अगस्त, 2026	06 भाद्रपद, 1948	शुक्रवार
17	जन्माष्टमी	04 सितम्बर, 2026	13 भाद्रपद, 1948	शुक्रवार
18	महात्मा गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2026	10 आश्विन,1948	शुक्रवार
19	दशहरा (विजयदशमी)	20 अक्टूबर, 2026	28 आश्विन, 1948	मंगलवार
20	महर्षि वाल्मीकि जयन्ती	26 अक्टूबर, 2026	04 कार्तिक, 1948	सोमवार
21	दीपावली	08 नवम्बर, 2026	17 कार्तिक, 1948	रविवार
22	दीपावली (गोवर्द्धन पूजा)	10 नवम्बर, 2026	19 कार्तिक, 1948	मंगलवार
23	ईगास-बग्वाल	20 नवम्बर, 2026	29 कार्तिक, 1948	शुक्रवार
24	गुरु नानक जयन्ती	24 नवम्बर, 2026	03 मार्गशीर्ष, 1948	मंगलवार
25	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2026	04 पौष, 1948	शुक्रवार

2– उत्तराखण्ड सचिवालय/विधान सभा और जिन कार्यालयों में पाँच दिवसीय सप्ताह लागू है, के फलस्वरुप अनुसूची–2 में घोषित सार्वजनिक अवकाश सचिवालय/विधान सभा में लागू नहीं होगें अपितु इन अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया, मानते हुए उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रुप में ऐसे अवकाशों को लेने की अनुमन्य सीमा तक नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

3– श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची मे निर्दिष्ट अवकाशों को भी वर्ष 2026 (शक संवत 1947–48) वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते है।

अनुसूची-2

–2

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	चेटीचन्द	19 मार्च, 2026	28 फाल्गुन, 1947	बृहस्पतिवार
2	विश्वकर्मा पूजा	17 सितम्बर, 2026	26 भाद्रपद, 1948	बृहस्पतिवार
3	गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस	24 नवम्बर, 2026	03 मार्गशीर्ष, 1948	मंगलवार

4– मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा–247 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार जिलाधिकारियों को इस पैरा में दिए प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय छुट्टियाँ जिनकी संख्या 03 (तीन) से अधिक न हो, घोषित करने का प्राधिकार है। इसके अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा 247 के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा घोषित किये जाने वाले स्थानीय अवकाशों में, उत्तराखण्ड विधानसभा/सचिवालय तथा जिन कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू है, खुले रहेंगें।

- *यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

- अनुसूची–1 के द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक/कोषागार/उपकोषागार मे लागू नही होगें।

- बैंक/कोषागार/उपकोषागार में निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित अवकाश लागू होगें, जो कि अनुसूची–4 में सूचीबद्ध किये गये हैं।

5– प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित अनुसूची में दी गयी निर्बन्धित छुट्टियों में से किन्ही

दो छुट्टियों को, जो वह लेना चाहें, मनाने की अनुमति दी जायेगी:-

निर्बन्धित अवकाशों की सूची

अनुसूची-3

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी, 2026	11 पौष, 1947	बृहस्पतिवार
2	मकर संक्रान्ति	14 जनवरी, 2026	24 पौष, 1947	बुधवार
3	बसंत पंचमी	23 जनवरी, 2026	03 माघ, 1947	शुक्रवार
4	गुरू रविदास जयंती	01 फरवरी, 2026	12 माघ, 1947	रविवार
5	*शब-ए-बारात	03 फरवरी, 2026	14 माघ, 1947	मंगलवार
6	*जमात-उल-विदा	13 मार्च, 2026	11 फाल्गुन, 1947	शुक्रवार
7	ईस्टर मन्डे	06 अप्रैल, 2026	16 चैत्र, 1948	सोमवार
8	वैशाखी	14 अप्रैल, 2026	24 चैत्र, 1948	मंगलवार
9	वीर केशरीचन्द्र शहीद दिवस	03 मई, 2026	13 वैशाख, 1948	रविवार
10	*चैहल्लुम	04 अगस्त, 2026	13 श्रावण, 1948	मंगलवार
11	अनन्त चतुर्दशी	25 सितम्बर, 2026	03 आश्विन, 1948	शुक्रवार
12	महाराजा अग्रसेन जयंती	11 अक्टूबर, 2026	19 आश्विन, 1948	रविवार
13	दशहरा (महानवमी)	20 अक्टूबर, 2026	28 आश्विन, 1948	मंगलवार
14	दीपावली (नरक चतुर्दशी)	07 नवम्बर, 2026	16 कार्तिक, 1948	शनिवार
15	भैयादूज	11 नवम्बर, 2026	20 कार्तिक, 1948	बुधवार
16	छठ पूजा	15 नवम्बर, 2026	24 कार्तिक, 1948	रविवार
17	क्रिसमस (पूर्व संध्या)	24 दिसम्बर, 2026	03 पौष, 1948	बृहस्पतिवार

*यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अर्न्तगत घोषित अवकाश

6- निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2026 ई0 (शक संवत् 1947-48) के वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं:-

File No. GAD-GEN/GEN/28/2025-XXXI-A 1-General Administration Department (Computer No. 56047)
Generated from eOffice by DHEESH KUMAR RO GAD Section-Dmeesh Kumar, REVIEW OFFICER, General Administration Department on 24/12/2025 06:16 pm

अनुसूची-4

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2026	06 माघ, 1947	सोमवार
2	महाशिव रात्रि	15 फरवरी, 2026	26 माघ, 1947	रविवार
3	होलिका दहन	03 मार्च, 2026	12 फाल्गुन, 1947	मंगलवार
4	होली	04 मार्च, 2026	13 फाल्गुन, 1947	बुधवार
5	*ईद-उल-फितर	21 मार्च, 2026	30 फाल्गुन, 1947	शनिवार
6	राम नवमी	26 मार्च, 2026	05 चैत्र, 1948	बृहस्पतिवार
7	वाणिज्यक बैंकों की वार्षिक लेखा बन्दी	01 अप्रैल, 2026	11 चैत्र, 1948	बुधवार
8	गुड फ्राइडे	03 अप्रैल, 2026	13 चैत्र, 1948	शुक्रवार
9	डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल, 2026	24 चैत्र, 1948	मंगलवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	01 मई, 2026	11 वैशाख, 1948	शुक्रवार
11	*ईद-उल-जुहा (बकरीद)	27 मई, 2026	06 ज्येष्ठ, 1948	बुधवार
12	हरेला	16 जुलाई, 2026	25 आषाढ़, 1948	बृहस्पतिवार
13	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2026	24 श्रावण, 1948	शनिवार
14	* ईद ए मिलाद/ मिलाद-उन-नबी बारावफात	26 अगस्त, 2026	04 भाद्रपद, 1948	बुधवार
15	रक्षा बन्धन	28 अगस्त, 2026	06 भाद्रपद, 1948	शुक्रवार
16	जन्माष्टमी	04 सितम्बर, 2026	13 भाद्रपद, 1948	शुक्रवार
17	महात्मा गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2026	10 आश्विन, 1948	शुक्रवार
18	दशहरा (विजयदशमी)	20 अक्टूबर, 2026	28 आश्विन, 1948	मंगलवार
19	दीपावली	08 नवम्बर, 2026	17 कार्तिक, 1948	रविवार
20	दीपावली (गोवर्द्धन पूजा)	10 नवम्बर, 2026	19 कार्तिक, 1948	मंगलवार
21	ईगास- बग्वाल	20 नवम्बर, 2026	29 कार्तिक, 1948	शुक्रवार
22	गुरु नानक जयन्ती	24 नवम्बर, 2026	03 मार्गशीर्ष, 1948	मंगलवार
23	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2026	04 पौष, 1948	शुक्रवार

*यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

उपरोक्त अवकाश आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

द्वारा जारी अनुदेशो के क्रम में जारी किये गये हैं, जो कि बैंक/कोषागारों/उप कोषागारों में लागू होगें।

Digitally signed by
Vinod Kumar Suman
Date: 24-12-2025
18:00:21

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

संख्या-1809 xxxi(15)G/25–74(सा0)/2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल का सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राज्य के समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एव लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं 150 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा देहरादून।

सेवामें,

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड लाडपुर
देहरादून।

पत्रांकः— प्रा0शि0 / सू0प्र0 / 159-60 / वार्षिक प्रतिवेदन / 2025—26 दिनांक 06 जून, 2026

विषयः—लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलों से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—5 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 202731 / XXIV-B—5 / 24—17(03) / 2018 दिनांक 01 अप्रैल, 2024 एवं मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 13387 / 2023—24 दिनांक 21.03.2024 के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा—25 के अनुसार विभिन्न लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से प्राप्त मासिक प्रतिवेदन के आधार पर अनुरोध पत्रों एवं प्रथम अपीलों की वर्ष 2025—26 वार्षिक प्रतिवेदन **(01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक)** की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया प्राप्ति स्वीकार कीजियेगा।

संलग्नः— यथोपरि।

भवदीय

(के0एस0 रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्या / सू0प्र0 / 159 – 60 / वार्षिक प्रतिवेदन / 2025—26 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपिः—

1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

6/6/26
(के0एस0 रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

लोक प्राधिकारी/विभागवार संकलित वार्षिक प्रगति विवरण वर्ष 2025–26

(1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक)

क्र० सं०	लोक प्राधिकारी/ विभाग का नाम	अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रू0)	स्तम्भ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)												
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	अनिस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	अनिस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	धारा 9	धारा 11	धारा 24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	प्रा0शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड	535	–	535	57	–	57	4906.00													
2	अपरनिदेशक प्रा0शि0 कुमायूँ,मण्डल,नैनीताल	41	–	41	2	–	2	410.00													
3	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 अल्मोड़ा	206	–	206	13	–	13	5150.00													
4	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 बागेश्वर	66	–	66	4	–	4	35.00													
5	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 चम्पावत	56	–	56	1	–	1	480.00													
6	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 नैनीताल	204	–	204	33	–	33	4351.00													
7	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 पिथौरागढ	114	–	114	10	–	10	1710.00													
8	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 ऊधमसिंहनगर	267	–	267	41	–	41	5322.00													
9	अपरनिदेशक प्रा0शि0 गढ़वाल मण्डल,पौड़ी	50	–	50	4	–	4	400.00													
10	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 पौड़ी	221	–	221	15	–	15	5594.00													
11	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 टिहरी	137	–	137	9	–	9	1230.00													
12	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 हरिद्वार	262	–	262	34	–	34	2670.00													
~~13~~	~~जि0शि0अ0 प्रा0शि0 चमोली~~	~~161~~	~~–~~	~~161~~	~~12~~	~~–~~	~~12~~	~~2000.00~~													
14	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 उत्तरकाशी	128	–	128	18	–	18	690.00													
15	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 देहरादून	176	–	176	14	–	14	700.00													
16	जि0शि0अ0 प्रा0शि0 रूद्रप्रयाग	110	–	110	6	–	6	2300.00													
	योग	**2734**	**0**	**2734**	**273**	**0**	**273**	**37948**=00													